रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25112025-267962
CG-MH-E-25112025-267962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्रहायण 4, 1947
No. 767]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 नवम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/278.–बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम के नाम में दिए हुए चिह्नों तथा शब्दों "[विनिधान (निवेश) सलाहकार]" को चिह्न तथा शब्द "(निवेश सलाहकार)" के रूप में पढ़ा जाएगा, और इसके अलावा शब्द "विनिधानकर्ता" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानकर्ता (निवेशक)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशक (विनिधानकर्ता)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेशक" आ जाएगा; शब्द "विनिधानकर्ताओं" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानकर्ताओं (निवेशकों)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशकों (विनिधानकर्ताओं)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेशकों" आ जाएगा; शब्द "विनिधान" या शब्द तथा चिह्न "विनिधान (निवेश)" या शब्द तथा चिह्न "निवेश (विनिधान)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेश" आ जाएगा; शब्द "विनिधानों" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानों (निवेश)" या शब्द तथा चिह्न "विनिधानों (निवेशों)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशों (विनिधान)" या शब्द तथा चिह्न "निवेशों (विनिधानों)" जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "निवेश" आ जाएगा, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 में,-

I. विनियम 4 में, खंड (छ) में, शब्द तथा चिह्न "और उप-दलाल" और शब्द तथा चिह्न "या उप-दलाल" हट जाएँगे ।

II. विनियम 7 में,

i) उप-विनियम (1) में,

क. शब्दों "निवेश सलाहकार के मुख्य अधिकारी" के बाद और शब्दों "के पास सदैव" से पहले शब्द "या निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों" जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या संघ (असोसिएशन) से स्नातक की डिग्री या उसके बराबर की कोई शैक्षणिक योग्यता (अर्हता) अथवा सीएफए इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया गया सीएफए चार्टर, और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार

संस्थान (एन.आई.एस.एम.) से या एन.आई.एस.एम. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संगठन या संस्था से हासिल किया गया संबंधित प्रमाणपत्र; या"

ग. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) एन.आई.एस.एम. से प्रतिभूति बाजार (निवेश सलाह) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री)] का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या एन.आई.एस.एम. से फाइनेंशियल प्लानिंग का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या एन.आई.एस.एम. से ऐसा कोई अन्य प्रोग्राम, जो बोर्ड बताए ।"

घ. दूसरे परंतुक में, शब्द, चिह्नों तथा अक्षर "खंड (क)" के बाद शब्द, चिह्न तथा अक्षर "तथा खंड (ग)" जोड़े जाएँगे ।

ii) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) इन विनियमों के तहत रजिस्टर एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार या 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर), निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों और यदि निवेश सलाहकार एक भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो, तो उसके भागीदारों (पार्टनर) [जो निवेश सलाह देने में जुटे हों] को, यथास्थिति, मौजूदा प्रमाणपत्र की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर एन.आई.एस.एम. का वह संबंधित प्रमाणपत्र फिर से हासिल करना होगा जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन सुनिश्चित होता रहे।"

iii) विनियम 13 में,

क. खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) जिन एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकारों (जो रजिस्टर हों) के ग्राहकों की संख्या किसी भी समय तीन सौ से ज्यादा हो जाए या जिन एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकारों (जो रजिस्टर हों) द्वारा वित्तीय वर्ष

के दौरान ली गई फीस तीन करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाए (जो भी पहले हो जाए), वे -

(i) तुरंत इसकी जानकारी पर्यवेक्षण आदि करने वाली बॉडी (निकाय) [एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइज़री बॉडी] को देंगे और एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार से 'एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' बनने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे; और

(ii) उपरोक्तानुसार जिस तारीख को बाध्यता लागू हो जाए, उस तारीख से 3 महीनों के भीतर 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर रजिस्टर होने के लिए सैद्धाँतिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे;"

ख. मौजूदा खंड (च) अब खंड (ज) बन जाएगा ।

ग. खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(च) खंड (ङ) के तहत रजिस्टर होने के लिए प्रदान की गई सैद्धाँतिक मंजूरी उस तारीख से तीन महीनों की अवधि तक मान्य रहेगी जिस तारीख को वह मंजूरी प्रदान की गई हो, ताकि 'एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' से 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर रजिस्टर होने के लिए जो कुछ भी किया जाना हो वह किया जा सके;

(छ) निवेश सलाहकार को 'एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर प्रदान किया गया अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब वापस सौंपना (सरंडर करना) होगा, जब उपरोक्त अवधि समाप्त हो जाए या जब वह 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर रजिस्टर हो जाए (जो भी पहले हो) ।

स्पष्टीकरण. - उपरोक्त अवधि के दौरान, निवेश सलाहकार को विनियम 13 के खंड (ङ) में बताई गई सीमा से ज्यादा नए ग्राहक बनाने और फीस लेने की अनुमति होगी;"

III. पहली अनुसूची में, प्ररूप-क (फॉर्म-क) में,

i) अनुदेश-2 में,-

क) शब्दों तथा चिह्न "आवेदक को यह प्ररूप पूरा भरना चाहिए, और इसे बोर्ड को इसके मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में समस्त समर्थक दस्तावेजों के साथ" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आवेदक को यह पूरा फॉर्म भरना होगा, और इसे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड से मान्यताप्राप्त बॉडी (निकाय) या बॉडी कारपोरेट" आ जाएँगे;

ख) शब्दों "प्रस्तुत करना चाहिए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के पास प्रस्तुत करना होगा या यदि ऐसी किसी बॉडी या बॉडी कारपोरेट को मान्यता प्रदान न की गई हो, तो बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा" आ जाएँगे ।

ii) मद-1 में,

क) खंड (क) में दिए हुए शब्द तथा चिह्न "फैक्स संख्या (संख्याएँ)," हट जाएँगे;

ख) खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों "संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) और मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "संपर्क व्यक्ति, अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) और मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)" आ जाएँगे ।

iii) मद-2 में,

क) उप-मद-I में,

क. खंड (4) में, शब्दों "पते का सबूत" के स्थान पर शब्द "पते के ब्यौरे" आ जाएँगे;

ख. खंड (6) और खंड (7) हट जाएँगे ।

ख) उप-मद-II में,

क. खंड (1) में, शब्दों "पते का सबूत" के स्थान पर शब्द "पते के ब्यौरे" आ जाएँगे;

ख. खंड (3) में, चिह्नों तथा शब्दों ", योग्यता (अर्हता) तथा अनुभव" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "और योग्यता (अर्हता)" आ जाएँगे;

ग. खंड (7) हट जाएगा;

घ. खंड (8) में, शब्दों "पते का सबूत" के स्थान पर शब्द "पते के ब्यौरे" आ जाएँगे; और शब्दों "और निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों" से पहले और शब्दों तथा चिह्नों "मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)" के बाद, चिह्न तथा शब्द ", अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर)" जोड़े जाएँगे ।

ग) उप-मद-III में,

क. खंड (1) में, शब्दों "पते का सबूत" के स्थान पर शब्द "पते के ब्यौरे" आ जाएँगे; और शब्दों "और निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों" से पहले और शब्दों तथा चिह्नों "मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)" के बाद, जहाँ कहीं भी वे दिए हुए हों, चिह्न तथा शब्द ", अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर)" जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (5) हट जाएगा ।

घ) उप-मद-IV में,

क. खंड (1) में, शब्दों "पते का सबूत" के स्थान पर शब्द "पते के ब्यौरे" आ जाएँगे; शब्दों "और निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों" से पहले

और शब्दों तथा चिह्नों "मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)" के बाद, चिह्न तथा शब्द ", अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर)" जोड़े जाएँगे; और शब्दों "और निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों" से पहले और शब्दों "मुख्य अधिकारी" के बाद, चिह्न तथा शब्द ", अनुपालन अधिकारी" जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (3) में, शब्द "मुख्य अधिकारी और" हट जाएँगे;

ग. खंड (6) हट जाएगा ।

iv) मद-4 के स्थान पर निम्नलिखित मद आ जाएगी, अर्थात्,-

"4. जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) होने के संबंध में घोषणा

यह घोषणा कि आवेदक के पास निवेश सलाहकार के कार्य कारगर ढंग से करने हेतु जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हैं ।"

v) मद-6 में, खंड (ङ) हट जाएगा ।

vi) मद-7 में, पैरा 2 में, शब्दों तथा चिह्न "उपलब्ध करायी गयी जानकारी में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को दूँगा / देंगे" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "दी गई जानकारी में कोई बदलाव होने पर तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने वाली बॉडी (निकाय) को सूचित करूँगा / करेंगे" आ जाएँगे ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./503/2025-26]

<u>पाद टिप्पण</u>:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778, द्वारा 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-

क. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

ख. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

घ. 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा

ङ. 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा

च. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा

छ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/34, द्वारा

ज. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

झ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

ञ. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

ट. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

ठ. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

ड. 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154, द्वारा

ढ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169, द्वारा

ण. 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/219, द्वारा

त. 7 अगस्त, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/253, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the November 25, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/278 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely: —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 –

I. In Regulation 4, in clause (g), the words "or sub-broker" and "and Sub-Broker" shall be omitted.

II. In Regulation 7,

i) in sub-regulation (1),

a. after the words "under these regulations" and before the words and symbol ", shall have the following", the words "or persons associated with investment advice" shall be inserted;

b. clause (a) shall be substituted with following, namely –

"(a) A graduate degree or any equivalent educational qualification from a university or institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or CFA Charter from the CFA Institute, and relevant certification from NISM or from any other organisation or institution accredited by NISM; or";

c. clause (c) shall be substituted with the following, namely –

"(c) A Post Graduate Program in the Securities Market (Investment Advisory) from NISM or a Post Graduate Program in Financial Planning from NISM or any other program of NISM as may be specified by the Board.";

d. in the second proviso, after the words and symbols "clauses (a)" and before the words "shall not apply", the words "and (c)" shall be inserted.

ii) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely –

" (2) An individual investment adviser or principal officer of a non-individual investment adviser, registered under these regulations, persons associated with investment advice, and in case of investment adviser being a partnership firm, the partners thereof who are engaged in providing investment advice, shall obtain a fresh relevant NISM certification as specified by the Board from time to time before expiry of the validity of the existing certification or within three years from the date of registration certificate, as the case may be, to ensure continuity in compliance with certification requirements."

iii) In Regulation 13,

a. clause (e) shall be substituted with the following, namely –

" (e) individuals registered as investment advisers whose number of clients exceed three hundred at any point of time or the fee collected during the financial year exceeds three crore rupees, whichever is earlier shall –

(i) immediately intimate the Administration and Supervisory Body and initiate the process of transition from individual to non-individual investment adviser; and

(ii) apply for grant of in-principle approval for registration as non-individual investment adviser within 3 months from the date on which the threshold is reached;";

b. the existing clause (f) shall be renumbered as clause (h);

c. after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely –

"(f) the in-principle approval for registration under clause (e) shall be valid for a period of three months from the date on which such approval is granted, to assist in the transition from registration as individual investment adviser to non-individual investment adviser;

(g) On completion of the transition period or upon grant of certificate of registration as non-individual investment adviser, whichever is earlier, the investment adviser shall surrender his registration as individual investment adviser.

Explanation. — During the transition period, the investment adviser shall be permitted to on board new clients and collect fees in excess of the threshold limit as given in clause (e) of regulation 13;".

III. In First Schedule, in Form A,

i) in Instruction 2, -

a) after the words "supporting documents" and before the words "to the Board", the words "to the body or body corporate recognised by the Board for the purpose of administration and supervision of investment advisers or" shall be inserted;

b) the words "at its head office at Mumbai" shall be substituted with the words and symbols ", if no such body or body corporate is recognized."

ii) in item 1,

a) in clause (a), the words and symbols "fax number(s)," shall be omitted;

b) in clause (c), the words and symbols "and e-mail of the contact persons(s) and principal officer" shall be substituted with ", e-mail of the contact person, compliance officer and principal officer."

iii) in item 2,

a) in sub-item I,

a. in clause 4, the words "address proof" shall be substituted with "details of address";

b. clause 6 and clause 7 shall be omitted.

b) in sub-item II,

a. in clause (1), the words "address proof" shall be substituted with "details of address";

b. in clause (3), the words and symbols ", qualification and experience requirements under regulation 7" shall be substituted with "and qualification under regulation 7";

c. clause (7) shall be omitted;

d. in clause (8), the words "address proof" shall be substituted with "details of address", and before the words "and persons associated with investment advice" and after the words "principal officer", the symbol and words ", compliance officer" shall be inserted.

c) in sub-item III,

a. in clause (1), the word "address proof" shall be substituted with "details of address" and before the words "and persons associated with investment advice" and after the words "principal officer", wherever they appear, the symbol and words ", compliance officer" shall be inserted;

b. clause (5) shall be omitted.

d) in sub-item IV,

a. in clause (1), the words "address proof" shall be substituted with "details of address" and before the words "and persons associated with investment advice" and after the words "principal officer", wherever they appear, the symbol and words ", compliance officer" shall be inserted;

b. in clause (3), the words "principal officer and" shall be omitted;

c. clause (6) shall be omitted.

iv) item 4 shall be substituted with the following, namely –

"4. DECLARATION OF NECESSARY INFRASTRUCTURE

Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of an investment adviser."

v) in item 6, clause (e) shall be omitted.

vi) in item 7, in paragraph 2, after the words "Securities and Exchange Board of India" and before the words "immediately any change", the words "and Investment Adviser Administration and Supervisory Body" shall be inserted.

AMIT PRADHAN , EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./503/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.

2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, -

   a. 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
   b. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023;
   c. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
   d. 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22;
   e. 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04;
   f. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11;
   g. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34;
   h. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
   i. 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;
   j. 07th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121;
   k. 3rd July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137;
   l. 17th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146;
   m. 9th October, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/154;
   n. 26th April, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/169;
   o. 16th December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/219;
   p. 7th August, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/253.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.25 23:04:37 +05'30'